

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2018/एनएफआर/47

दिनांक: 01.11.2018

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.
मैट्रो रेल कोलकाता

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 63)

विषय: 2018 के दिनांक 12.09.2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 50 के पैरा सं. 3.2 पर
स्पष्टीकरण।

2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 50 के पैरा सं. 3.2 में आशोधन का मुद्दा बोर्ड कार्यालय में विचाराधीन है। सक्षम अधिकारी द्वारा अब उपर्युक्त पैरा को निम्नानुसार आशोधित करने का विनिश्चय किया गया है:

“क्षेत्रीय रेलें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से, अग्रिम तौर पर अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी के रूप में संविदा के अंतिम वर्ष के लिए परिकल्पित किए गए छह माह (6) के लाइसेंस शुल्क के समतुल्य प्रतिभूति जमा प्राप्त करेंगी”।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति और बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।



(पी.सी.वर्मा)

संयुक्त निदेशक (एनएफआर)

रेलवे बोर्ड

सं. 2018/एनएफआर/47

दिनांक: 31.10.2018

प्रतिलिपि प्रेषित: पीएफए, सभी भारतीय रेलों को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित



(पल्लवी जोशी)

कृते वित्त आयुक्त

रेलवे बोर्ड